[Mr Deputy Speaker]

casteless and religionless society in India."

The motion was adopted.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI: I introduce the Bill.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Section* 378)

SHRI RAMNATH DUBEY (Banda) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRI RAMNATH DUBEY: I introduce the Bill.

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Amendment of Section* 26)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now further consideration of the following motion moved by Shri Atal Bihari Vajpayee on 30th April 1982, namely:—

"That the Bill further to amend the Indian Post Office Act, 1898, be taken into consideration."

Mr. Vajpayee was on his legs. He has taken 120 seconds.

Mr. Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कुछ काले कानूनों को हम अभी भी अपनी व्यवस्था का अंग बनाए हुए हैं। अंग्रेजों ने 1898 में "इण्डियन पोस्ट आफ़िस एक्ट" इस देश के ऊपर थोपा था। उन का उद्देश्य था—व्यक्तियों और संगठनों की चिट्ठी-पत्रियों पर नज़र रखना, उसे रोकना और उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का अधिकार ले लेना। यह काम अंग्रेज अपने साम्राज्य को बनाये रखने के लिये करना चाहते थे। पहले देशभक्तों की चिट्ठियां सेंसर की जाती थीं, संगठनों के बीच में जो पत्र-व्यवहार होते थे उन्हें रोक लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ तो लोकतंत्र से बंधे हुए नहीं थे, उन की आंखों में व्यक्तिगत आज़ादी का कोई मूल्य नहीं था। 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1950 में हम ने भारत को गणतन्त्र घोषित किया, संविधान में हम ने मूलभूत अधिकारों का प्रावधान किया उन मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत व्यक्ति को चिट्ठी-पत्री करने का अधिकार है, संगठनों को पत्र-व्यवहार करने की छूट है, लेकिन आश्चर्य है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला-कानून अभी तक चल रहा है। इस से भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस काले-कानून का उपयोग किया जा रहा है . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक की सरकार ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि हम कुछ व्यक्तियों के पत्र-व्यवहार को सेंसर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा 300 लोगों की एक सूची बनाई गई है और

*Published in Gazette of India Extra-ordinary. Part II, Section 2 dated 9-7-82.